डीजी परिपत्र संख्या - 40 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 17 ,2016

विषय विवेचकों द्वारा हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

इस मुख्यालय के संज्ञान में प्रायः यह तथ्य आता है कि जनपदों में हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचना भी तत्परतापूर्वक नहीं करायी जा रही है। विवेचकों द्वारा गम्भीर अपराधों की विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती हैं। पूर्व में भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा विवेचनाओं के तत्परता से निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश इस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन अक्षरशः नही किया जा रहा है। जोन के पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से इस मुख्यालय में प्राप्त विवरण के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 31.05.2016 तक 6 माह से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम कुल 6875, एक वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कुल 1204 एवं 2 वर्ष से अधिक कुल 273 मुकदमें विवेचनाधीन है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में पार्ट पेण्डिंग मुकदमें भी जनपदों में लम्बित होंगे। यह स्थिति उचित नहीं है। इतने अधिक संख्या में लम्बे समय से विवेचनाओं के लम्बित रहने के फलस्वरूप पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण विवेचना के शीघ्र निस्तारण के निर्देश निर्गत करने हेतु ली जाती है। इससे पुलिस विभाग की छवि तो धूमिल होती ही है साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में भी असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। विगत दिनों भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या : 15456/2016 गणेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 02 अन्य की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.07.2016 को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

डीजी परिपत्र संख्या	: 28/2015
दिनांक 20.04.2015	
डीजी परिपत्र संख्या	: 31/2015
दिनांक 28.04.2015	
डीजी परिपत्र संख्या	: 44/2015
दिनांक 15.06.2015	
डीजी परिपत्र संख्या	: 51/2015
दिनांक 12.07.2015	

"Learned A.G.A. is directed to send copy of this order to Director General of Police, Uttar Pradesh for issuing necessary direction in this regard to the Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police in Uttar Pradesh so that a litigant/aggrieved person may not rush to this Court in petty issues failing which this Court would be compelled to summon Director General of Police, Uttar Pradesh, showing callousness of Investigating Officers who are conducting investigation in serious offences of rape, murder, etc, keeping the investigation pending for a longer period. List this case on 27.07.2016.

A copy of this order shall be supplied to learned A.G.A. within three days for ensuring its compliance.

Registrar General of this Court is directed to send a certified copy of this order to D.G.P. U.P. for its compliance."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का निस्तारण विवेचकों द्वारा तत्परता से नही किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हे विशेष आख्या अपराध मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध(Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इन अपराधों की विवेचना गहनता एवं समयबद्ध किये जाने के साथ-साथ विवेचकों का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाये, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित किया जा सके। विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु आपको पुनः निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

1. थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक अपने स्तर से 45 दिवस से अधिक समय से लम्बित विशेष अपराध सहित सभी अन्य विवेचनाओं की समीक्षा करेंगें और उनके लम्बित रहने के कारण को दर्शाते हुए प्रत्येक सप्ताह आख्या सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करेंगें।

2. क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के थानों का माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेगें एवं विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगें तथा प्रत्येक माह 03 माह से अधिक समय से लम्बित सभी विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणों को दर्शाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगें।

3. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र के थानों का प्रत्येक माह आदेश कक्ष करेंगें। आदेश कक्ष के दौरान 03 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की समीक्षा करेगें कि किन कारणों से विवेचना लम्बित रही एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगें।

4. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में 06 माह से अधिक समय से लम्बित सभी विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगें।

5. 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक माह में कम से कम 01 बार आदेश कक्ष कर विवेचना लम्बित रहने के कारणों की गहराई से समीक्षा करेंगें। अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचकों के विरूद्ध कार्यवाही भी करेगें एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगें।

6. 06 माह से अधिक समय से लम्बित समस्त विवेचनाओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रत्येक ऐसी विवेचना की गहराई से समीक्षा करेंगें एवं ऐसी समस्त विवेचनाओं की प्रगति की साप्ताहिक आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करेंगें।

7. कतिपय विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों उदाहरणार्थ एफ0एस0एल0 की परीक्षण रिपोर्ट अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित रहती हैं। गम्भीर अपराध के प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्वयं एफ0एस0एल0 एवं अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ इकाई से समन्वय स्थापित कर परीक्षण

रिपोर्ट इत्यादि तत्परता से प्राप्त करने के प्रयास कराये, ताकि विवेचक द्वारा विवेचना का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

8. क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदेश कक्ष के दौरान अकारण लम्बित पायी गयी विवेचनाओं के सम्बन्ध में लापरवाह विवेचकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगें।

9. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगें कि निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत हो। अपने भ्रमण के दौरान इस परिपत्र के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेंगें और यदि समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आता है कि किसी स्तर से परिपत्र के अनुपालन में लापरवाही, शिथिलता बरती जा रही है तो इस मुख्यालय को अवगत करायेगें जिससे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय

17.7.16.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।